



कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, मण्डी डबवाली
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER, PUBLIC HEALTH ENGG. DIVISION, MANDI DABWALI



॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

पत्र क्रमांक

12466

दिनांक


13/11/25

विषय:-

**Diversion of 0.6827 ha forest land in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Mandi Dabwali for laying of 36" I/d RCC pipe inlet channel from Kaluana Link channel to village Ganga water works along Goriwala-Chautala road Km 3.6 to 7.8 L/s at Village Ganga under Forest Division & Distt. Sirsa.
Proposal No. FP/HR/Water/36117/2018**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि जिन शर्तों के आधार पर राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परंतु अंडर टेकिंग के रूप में अनुपालना से पहले प्रस्तुत किया जाना है कि निम्न प्रकार से है:-

1. वन विभाग भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 399 से अधिक नहीं होगी।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
5. जब किसी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए यह विभाग बाध्य होगा।
6. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी परिस्थिती में किसी भी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तारिन्त नहीं किया जाएगा।
7. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
8. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
9. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यास्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र कियर प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
10. यदि आवश्यकता हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
11. कूड़ा-कचरा निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
12. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय लगाई जा सकती है।
13. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होत है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


कार्यकारी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल,
मण्डी डबवाली।

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 15-01-2020

Client Code	CAM5069
Location	HARAYANA
Remitter Name	EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC HEALTH
PIF/Application No.	5336117146
MoEF/SG File No.	9-HRB098-2019-CHA
Address	Executive Engineer Public Health, Division No. 1, Sirsa
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	phesirsa2017@gmail.com 9728966569 1666-221750
Amount(in Rs)	7091258/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words Seventy Lakh Twenty One Thousand Two Hundred and Fifty-Eight Rupees Only

De Pand


Sub-Divisional Engineer
Public Health Enigg. Sub. Div. No. 2,

Bank Official
(Signature)

MANDI DASWALI	
Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- The challan is valid only for payment only.

After making successful payment, User Agencies m



TRADITIONAL FOREST DWELLERS RECOGNITION OF FOREST RIGHT ACT, 2006.

Title of the Case/Project: Diversion of 0.6827 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Mandi Dabwali for laying of 36" i/d RCC Pipe inlet Channel from Kaluana Link Channel to village Ganga water works along Goriwala-Chautala road Km 3.6 to 7.8 L/s at village Ganga, under Forest Division & Distt. Sirsa.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" Less than 75 years prior to the 13th Day of December 2005 and having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

for Deputy Commissioner,
Sirsa. *[Signature]* 11.6.19

Memo No 9327

/MA Dated: 11.06.19

Office of	
Divisional Officer, Sirsa	
12/6/19	Sign. <i>[Signature]</i>
956	
Branch	FLO
12/6	
Date	